

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्



(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
ब्लॉक-1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
(मुख्य कार्यालय-59, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल)

क्र./ ९३५ / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2012

भोपाल, दिनांक ०३/१०/२०१२

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला – (समस्त)

विषय: महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लिये जा सकने वाले अनुमत कार्य (Permissible work) नकारात्मक कार्यों की सूची (Negative Work) एवं नवीन प्रस्तावित कार्यों के संबंध में।

महात्मा गांधी नरेगा, कृषि एवं ग्रामीण आजीविका को और अधिक सुदृढ़ करने, ग्रामीण पर्यावरण में संतुलन स्थापित कर ग्रामीणों के लिये स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यों की नवीन श्रेणियां एवं उनमें नवीन कार्यों का समावेश किया गया है, जो भारत सरकार की वेबसाइट nrega.nic.in के पोर्टल पर Frame work for "Planning of works" अंग्रेजी व हिन्दी वर्जन में उपलब्ध है।

भारत सरकार द्वारा योजना में अनुमत किये गए इन नवीन कार्यों में से अधिकतर कार्यों को पूर्व से ही प्रदेश में विभिन्न उपयोजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत जिन नवीन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभाग के निर्देश नहीं हैं उनके निर्देश राज्य स्तर पर तैयार किये जाकर उपलब्ध कराये जावेगें। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत निर्धारित कार्यों की 16 श्रेणियों के अंतर्गत लिये जाने वाले अनुमत कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है। योजना के तहत नहीं किये जाने वाले नकारात्मक कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

क्षेत्र विकास की परिस्थितियों को देखते हुये ऐसे कार्य जो श्रम मूलक स्थाई संरचना के दृष्टिगत नरेगा के तहत लिये जा सकते हैं, परन्तु भारत सरकार का पत्र सं.जे. -11013/01/2011-मनरेगा-1(भाग-VI) दिनांक 29.08.2012 से जारी निर्देशों के साथ संलग्न अनुमत कार्यों की श्रेणी में नहीं हैं, उनके प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट-3 में दर्शित बिन्दुओं की जानकारी देते हुये परिषद् को भेजे जा सकते हैं।

कृपया विभाग के निर्देशों के अनुसार संलग्न प्रपत्र मे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों के अनुसार जिले में शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार कराया जाये एवं कार्यों का विवरण लेबर बजट तैयार करने हेतु निर्धारित एम.आई.एस., प्रपत्र में निर्धारित श्रेणी में ही ध्यान पूर्वक भरा जावे।

संलग्न : निर्माण कार्यों की सूची

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,

भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 03/10/2012

9346

पृ.क्र. / / MGNREGS -MP/NR-3/SE-II/2012
प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, भोपाल।
2. परियोजना समन्वयक, डी.पी.आई.पी., भोपाल।
3. संचालक, ग्रामीण रोजगार, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
4. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र।
6. कमिशनर, समस्त संभाग, म.प्र।
7. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल समस्त म.प्र।
8. कलेक्टर, जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग समस्त म.प्र।
11. कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म.प्र। जनपद पंचायत अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को प्रति उपलब्ध कराई जाये।

प्रति,

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम अंतर्त विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के विस्तृत मानदंड

परिकल्पना - 1

क्र.सं.	भूमि का स्थान विवर	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भौतिक मानदण्ड		वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)	कार्य संपादन का सम्बावित सीजन
				कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (इकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/ किलोमीटर) (आईएएल)	अनुमानित परिणाम		
				संख्या में	अनुमानित परिणाम	भजदूरी पर सामग्री पर	
1	2	3	4	5	6	7.I	8.I
1			1. जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण			7.II	8.II
1a			कट्टीनुअस कंटर ट्रेचें जे /फराजे, रस्टेंगाई ट्रेच, बाल्स ट्रेच शैलपर्ण (Continuous contour trenches/furrows, Staggered trenches, Box trenches)	वैयक्तिक भूमि (पीएल)घनमीटर भिट्ठी कार्यघन मीटर भण्डरण समता का सूजन होगा।	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च अवट्टबर से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1b			संकर तालाब (Sunken Ponds)	पीएलघनमीटर भिट्ठी कार्यघनमीटर भण्डरण समता का सूजन होगा।	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1c			गली लग्न (Gully Plugs)	भूमि विकास के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि/ वै. भूमिघनमीटर भिट्ठी कार्य	खेती के अंतर्गत..... हेवटे, क्षेत्रफल आएगा	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1d			बोल्डर चेक (Boulder Check)	भूमि विकास के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि/ वै. भूमिघन मीटर सूखा पर्यावरण राजगीरीहेवटेर को लाया होगा	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1e			गेबियन स्ट्रक्चर्स (Gabian Structures)	पीएलघन मीटर गेबियन के साथ.... घन मीटर सूखा पर्यावरण राजगीरीहेवटेर को लाया होगा	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1f			जलाशय, तालाब, रिसाव टैंक आदि(Ponds, Tanks, Perculation Tanks etc.)	पीएलघन मीटर गेबियन के साथ.... घन मीटर सूखा पर्यावरण राजगीरीघन मीटर भण्डरण समता का सूजन होगा	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1g			भूमिगत बांध(Underground Dyke)	पीएलघन मीटर मिट्टी कार्यहेवटे, क्षेत्रफल को लाया होगा	अप्रैल से मई एवं जनवरी से मार्च
1h			मिट्टी बांध (Earthen Dam)	पीएलघन मीटर मिट्टी कार्यघन मीटर भण्डरण समता का सूजन होगा	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
1i			स्प्रिंग शेड विकास क) स्टेंगर्ट ट्रेचे जे ख) पौधरोपण (Springs Shed Development	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल	मिट्टी कार्य ख) लगाए गए पौधों की साख्याहेवटेर को लोकप्रिय विकास होगा	अप्रैल से मार्च
			A. Staggered Trenches				
			B. Plantation)				

क्र.सं.	भूमि का संख्या संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भौतिक मानदण्ड		वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)	कार्य संपादन का समावित सीजन
				भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सर्वजनिक भूमि (मीरल) / वैयक्तिक भूमि (आईएल)	कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (इकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर) (संख्या में)		
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II
Ij			चैक बांध, एनीकट, रोक बांध (Check Dam, Anicut, Stop Dam)	पीएलघन मीटर राजनीसी कार्यघन मीटर भण्डारण क्षमता का सृजन होगा और... हेक्टे. क्षेत्रफल को लाभ होगाघन मीटर से मई एवं अवट्टबर से मार्च
1k			सैड फिल्टर के जरिए कुओं को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करना (Artificial Recharge of well through Sand Filter)	सिचाई सुविधा के अंतर्गत पीएल और आईएल	फिल्टर के साथ गढ़े का..... घन मीटर आकार	कुरें को... घन मीटर अपवाह जल से रिचार्ज करेगा	अप्रैल से मई एवं अवट्टबर से मार्च
2		2. वनरोपण और वृक्ष रोपण सहित सूखारोधन	नसरी में बढ़तीरी (Nursery Raising) वनरोपण के अंतर्गत पीएल और आईएल	पौधरोपण के अंतर्गत पीएल और आईएल	वृद्धि किए गए बाल वृक्षों (सैप्टिंग की संख्या)संख्या में पौधों का उत्पादन होगा	जून से अवट्टबर
2a		वन का ईको-रेस्टोरेशन (Eco restoration of Forest)	वनरोपण के अंतर्गत घटिया वन और बंजर भूमि को कवर करना (Aforestation - To cover degraded forest & Barran land under afforestation)	पीएल	लगाए गए पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर किया गया।	हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।	जून से अवट्टबर
2b				पीएल	लगाए गए पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर किया गया।	हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।	जून से अवट्टबर
2c		चरागाह विकास तथा वन चरागाह(Grass Land Development & Silvi Pasture)	पीएल	लगाए गए पौधों की संख्या तथा हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर किया गया।	हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।	हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।	जून से अवट्टबर
2d		सड़क / नहर किनारे पौधारोपण हरियाली (Road/ Canal Side Plantation)	पीएलसं.में. पौधरोपण किया गया है तथा किमी कवर किया गया है।किमी सड़क /नहर का सरक्षण होगा।हेक्टे. क्षेत्रफल में लगाये गये कवर करेगा।	जून से अवट्टबर
2e		छ्लाक पौधरोपण वन्या, रेखम (Block Plantation)	पीएलहेक्टे. क्षेत्रफल में लगाये गये पौधों की संख्या कवर करेगा।हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।हेक्टे. क्षेत्रफल को कवर करेगा।	जून से अवट्टबर

क्र.सं.	भूमि का स्वामित्व	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भौतिक मानदण्ड		वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)	कार्य संपादन का समावित सीजन					
				भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (प्राप्त) / वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (इकाई इन मीटर/ वर्ग मीटर/ किलोमीटर) / अनुमानित वर्ग मीटर (संख्या में)							
1	2	3	4	3 माइको एवं लघु सिंचाई सहित सिंचाई नहरें	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
3			क. सिंचाई नहरें	नहरों का निर्माण, वितरणिका तथा लघु नहरें (Construction of Canal Distributory & minor)	प्रैएलधन मीटर मिट्टी कार्य तथा किमी लम्बाई का निर्माणधन मीटर मिट्टी कार्य तथा किमी लम्बाई का निर्माण	कमाड के अंतर्गतहेवटे, क्षेत्रफल आएगाहेवटे, अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल का सृजन होगाहेवटे, अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल का सृजन होगा	अप्रैल से मई, अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मई, अप्रैल से मार्च
3b			नहरों की लाइनिंग (Lining of Canals)	लघु एवं उप लघु नहरों का पुनर्वास (Rehabilitation of Minors, Sub Minors)	प्रैएलधन मीटर मिट्टी कार्य / राजगिरी तथा कवर की गईकिमी. लम्बाईधन मीटर मिट्टी कार्य / राजगिरी तथा कवर की गईकिमी. लम्बाईहेवटे, क्षेत्रफल का सृजन होगाहेवटे, अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्रफल का सृजन होगाहेवटे, क्षेत्रफल की सिंचाई होगी	अप्रैल से मई, अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मई, अप्रैल से मार्च
3c			ख- लघु सिंचाई कार्य	सिंचाई के लिए सामुदायिक कुरं (Community Well for irrigation)	प्रैएलमी. व्यास औरमी. गहराई तथाधनमीटर लाइनिंगमी. व्यास औरमी. गहराई तथाधनमीटर लाइनिंगहेवटे, क्षेत्रफल की सिंचाई होगीहेवटे, क्षेत्रफल की सिंचाई होगीहेवटे, क्षेत्रफल की सिंचाई होगी	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च
3d			4. सिंचाई	लिफ्ट सिंचाई (Lift Irrigation)	प्रैएलधनमीटर राजगिरी कार्यधनमीटर राजगिरी कार्यहेवटे, क्षेत्रफल की सिंचाई होगीहेवटे, क्षेत्रफल की सिंचाई होगीहेवटे, क्षेत्रफल की सिंचाई होगी	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च
4			4. सिंचाई सुविधा	बागवानी पैध रोपण तथा वैयक्तिक भूमि आईएल पर भूमि विकास सिंचाई सुविधा का प्रावधान	आईएलवर्गमी कास सेक्षन तथा..... किमी. लम्बाईवर्गमी कास सेक्षन तथा..... किमी. लम्बाईहेवटे, क्षेत्रफल को लाभ होगाहेवटे, क्षेत्रफल को लाभ होगा	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च	
4a				जल मार्ग (लाटर कोर्स)/फ़ील्ड चैनल का निर्माण, सहस्रधारा(Construction Water Courses/Field Chhanel)	आईएलवर्गमी कास सेक्षन तथा..... किमी. लम्बाईवर्गमी कास सेक्षन तथा..... किमी. लम्बाईहेवटे, क्षेत्रफल को लाभ होगाहेवटे, क्षेत्रफल को लाभ होगा	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च	
4b				जल मार्ग/फ़ील्ड चैनल की लाइनिंग (Lining of Water Courses/Field Chhannels)	आईएलवर्गमी कास सेक्षन तथा..... किमी. लम्बाईवर्गमी कास सेक्षन तथा..... किमी. लम्बाईहेवटे, क्षेत्रफल को लाभ होगाहेवटे, क्षेत्रफल को लाभ होगा	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मई एवं अप्रैल से मार्च	

क्र.सं.	भूमि का स्थानिक मित्र	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भौतिक भागदण्ड		वितरीय भागदण्ड (लाख रु. में)	कार्य संपादन का समावित सीजन		
				भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (मीएल) / वैधिक भूमि (आईएएल)	कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (ईकाई घन मीटर) / वर्ग मीटर/किलोमीटर) (अंकुशल अम दिवस संख्या में)				
1	2	3	4	5	6	7.I	8.I	8.II	9
4c			कुएँ की खुदाई / केपिलधारा कूप (Dug Well)	आईएल	मी. आकार तथा ..मी. गहराई और धामी. लाइनिंगहेवटे. क्षेत्रफल की सिंचाई होगी।	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च		
4d			खेत में तालाब / डिग्गी / टेंक बनाना(Dug Out Farm Pond/Diggi/ Tank)	आईएल	..धनमी. मिट्टी कार्य/राजगिरिघमी. जल भण्डरण होगा।	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च		
4e		बागवानी पौधरोपण	बागवानी पौधरोपण नंदन फलोद्यान (Horticulture Plantation)	आईएल	पौधों की संख्या तथा मी. में क्षेत्रफल मेंहेवटे. क्षेत्रफल में पौधरोपण किया जा रहा है	जून से सितम्बर		
4f		पौध रोपण	बाहरद्वारी पौधरोपण (Boundary Plantation)	आईएल	पौधों की संख्या तथा मी. में लम्बाईहेवटे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।	जून से सितम्बर		
4g			ब्लॉक पौधरोपण /निर्मल वाटिका (Block Plantation)	आईएल	पौधों की संख्यातथाहेवटे. क्षेत्रफल मेंहेवटे. क्षेत्रफल कवर होगा।	जून से सितम्बर		
4h			डंचा (भूमि विकास और शहरी पौधरोपण)	भूमि विकास और पौधरोपण के अंतर्गत आईएल	पौधों की संख्यातथाहेवटे. क्षेत्रफल मेंहेवटे. क्षेत्रफल विकास होगा।	अप्रैल से मई एवं जुलाई से दिसंबर		
4i		भूमि विकास	कन्ट्रू/ घोड़े बाध/ खेत बाध का निर्माण, भूमि शिल्प (Construction of Contour/Graded Bund/Farm Bunding)	आईएल	...वर्गमी औसत सीएस एवं ...मी लम्बाईहेवटे. क्षेत्रफल लाभ होगा।	अप्रैल से मई एवं नवम्बर से मार्च		
4j			भूमि समतलीकरण और शैपिंग, (Land Levelling & Shapping)	आईएल	...घनमी निर्दी कटाई और हेवटे. क्षेत्रफल का लेबल किया गया।हेवटे. क्षेत्रफल का लेबल किया जाएगा।	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च		
4k			लवणीय / क्षारीय भूमि सुधार(Reclamation Of Saline/ Alkaline Land)	आईएलहेवटे. क्षेत्रफलहेवटे. क्षेत्रफल का सुधार होगा।	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च		
4l			निकास (इंजेन) मार्गों का निर्माणConstruction of Drainage Chhanel(s)	आईएलवर्ग मी. औसत सीएस तथा ...मी. लम्बाईहेवटे. क्षेत्रफल का लाभ होगा।	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च		

क्र.सं.	भूमि का स्थान संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भौतिक मानदण्ड		वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)	कार्य स्पादन का समावित सीजन
				भूमि जिस पर कार्य युक्त किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (इकाई घन मीटर / वर्ग मीटर / किलोग्राम)		
1	2	3	4	5	6	7.I	9
4m				निकटतम तालाब से गाद की डुलाई करके बंजर भूमि पर मृदा को कवर करना (Soil Cover on Waste Land by Transporting Slit from nearby tank)	आईएलधन मी. मृदा तथा ...हेवटे. क्षेत्रफल में	उत्पादन में प्रतिशत की वृद्धि
4n				बंजर भूमि / फेलो भूमि का विकास (Development of waste fallow land)	आईएलधन मी. मृदा तथा ...हेवटे. क्षेत्रफल में	अप्रैल से मई एवं फरवरी से मार्च
5		5. तालाबों से गाद निकालने सहित पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण		जलाशयों, तालाबों तथा तलेयों और अन्य पारम्परिक जल निकायों से गाद निकालन(Desilting of tanks, Talab & Ponds & other Traditional water bodies)	पीएलघनमी भिट्टी कार्य ..घनमी भर्जरण क्षमता में वृद्धि	अप्रैल से मई एवं फरवरी से मार्च
5b				जलाशयों, तालाबों तथा तलेयों, चक्रों बांध, एरकोप, वीयर्स और नियंत्रण डांचों की मरम्मत, नवीकरण तथा जीणोद्धार(Réparation, Renovation & Restoration of Tank, Talab, Ponds, Check Dam, Escape, Weirs & Control Structures)	पीएल	तकनीकी अनुमान/स्वीकृति के अनुसार हेवट क्षेत्रफल की सिंचाई होगी।	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च
6	6. भूमि विकास						
6a		वृक्षारोपण / वन चरागाह जैसे उत्पादन उपायों के लिए लवण प्रभावित भूमि का सुधार(Reclamation of salt affected land for production measures like tree plantation/Silvi pasture Development of waste land)		भूमि विकास के अंतर्गत पीएल शुरु की गई नियन्त्रिति का परिमाण	.हेवटे. क्षेत्रफल उत्पादन के अंतर्गत होगा।	जून से सितम्बर	
6b		बंजर भूमि का विकास, ग्रामीण कीड़िगांग शांतिधाम व कामधेनु।		भूमि विकास के अंतर्गत पीएल शुरु की गई नियन्त्रिति का परिमाण	.हेवटे. क्षेत्रफल उत्पादन के अंतर्गत होगा।	अप्रैल से मई एवं अक्टूबर से मार्च	
7		7.बाढ़					

क्र.सं.	भूमि का स्थान निवास	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भौतिक मानदण्ड		कार्य संपादन का समावित सिलेज
				वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)	कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (एप्पल) / वैयक्तिक भूमि (अर्ड्डरएल)	
1	2	3	4	5	6	7
7a		नियन्त्रण	विपथन मार्ग (Diversion Channel)	7.1	7.11	8.I
7b			विपथन बीयर (Diversion Weir)	पीएल	...घनमी भिट्ठी कार्य तथा ... ओर आईएल	...हेवटे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।
7c			पेरिफेरल / कास बांध (Peripheral/ Cross Bund)	पीएल	...घनमी भिट्ठी कार्य तथा ... ओर आईएल	...हेवटे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।
7d			जल भराव क्षेत्र में निकास मार्ग (Drainage in water logged areas)	भूमि विकास के अंतर्गत पीएल ओर आईएल	...घनमी भिट्ठी कार्य तथा ... किमी लम्बाई	...हेवटे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।
7e			बाढ़ चैनल (मार्गों) की नरमत तथा गहरा करना (Deepning & Repair of flood Channels)	पीएल	...घनमी भिट्ठी कार्य तथा ... किमी लम्बाई	...हेवटे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।
7f			चौर नवीकरण (Chaur Renovation)	पीएल	खोदी गईघन मी भिट्ठी तथामी. तटबध की लम्बाई	...हेवटे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।
7g			समुद्र तटीय क्षेत्र के सरक्षण हेतु स्टोर्म वाटर नालों का निर्माण (Construction of Storm water Drains for Coastal Protection)	पीएलघनमी. भिट्ठी कार्य / ...घनमी. आर. आर. राजगिरि तथा ...मी. लम्बाई	...हेवटे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।
7h			मध्य एवं सम्पर्क नालों का निर्माण (Construction of intermediate & link drains)	पीएल	...हेवटे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।	अप्रैल से मई एवं अवस्थावर से मार्च
7i			ठोकरों (स्पर्स) और प्रचंड प्रवाह नियुक्ति उपाय तटबधों को सुट्टूढ़ करना (Spurs & Torrent Control Measures Strengthening of Embankment)	पीएलघनमी. भिट्ठी कार्य तथा ...घन मी. मुरम व किमी. लम्बाई	अप्रैल से मई एवं अवस्थावर से मार्च
8	8. ग्रामीण सड़क सम्पर्क नालों का नियन्त्रण उपाय तटबधों को सुट्टूढ़ करना (Spurs & Torrent Control Measures Strengthening of Embankment)	साधनों का नियन्त्रण	मिट्टी मुरम रोड / नर्मदा पथ निर्माण (Mitti Murram Road)	पीएल	...घनमी. भिट्ठी का कार्य तथा ... घनमी. मुरम व किमी. लम्बाई	अप्रैल से मई एवं अवस्थावर से मार्च
8a			गिट्टी पथरी (ग्रेवल) रोड (Gravel Road)	पीएल	...घनमी. भिट्ठी का कार्य व ... घनमी. घरी व किमी. लम्बाई	अप्रैल से मई एवं अवस्थावर से मार्च
8b					...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।	

क्र.सं.	भूमि का स्थान मेंत्र	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि जिस पर कार्य चुनक किया जा सकता है।		प्रौद्योगिक मानदण्ड		कार्य संपादन का समावित सीजन		
					सार्वजनिक भूमि (पीएल)/वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	मात्रा (ईकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/फिलोमीटर)	अनुमानित भौतिक मात्रा (संख्या में)	अनुमानित अकृशल आम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम मजदूरी पर सामग्री पर	वित्तीय मानदण्ड (लाख रु में)	अनुमानित लागत मजदूरी पर सामग्री पर
1	2	3	4	5	6	7.I	7.II	7.III	8.I	8.II	9
8c				डब्ल्यूबीएम रोड (WBM Road)	पीएल	.घनमी. मिट्टी का कार्य व ... घनमी. पथरी व किमी लम्बाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मई एवं सितम्बर से मार्च	
8d				सी.सी. रोड, पंच परमेश्वर के अभिसरण से आंतरिक मार्ग (C.C. Road)	पीएल	.घनमी. मिट्टी कार्य व ... घनमी. सीमेन्ट कांकीट तथा वर्ग मी. ल्वाक शेत्र व किमी लम्बाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			जुलाई से मार्च	
8e				इंटरलॉकिंग सीमेन्ट ल्वाक रोड (Interlocking Cement Block Road)	पीएल	.घनमी. मिट्टी कार्य व ... घनमी. सीमेन्ट कांकीट तथा वर्ग मी. ल्वाक शेत्र व किमी लम्बाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।				
8f				ईंट खड़जा (Brick Kharanja)	पीएल	.घनमी. मिट्टी कार्य व ... घनमी. ईंट शेत्र तथा किमी. लम्बाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च	
8g				पत्थर का खड़जा (Stone Kharanja)	पीएल	.घनमी. मिट्टी कार्य व ... घनमी. सीमेन्ट कांकीट तथा वर्ग मीटर पर्याला शेत्र तथा किमी. लम्बाई	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च	
8h				कास डेनेज (Cross Drainage)	पीएल	अनुमान के आधार पर	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च	
9		9.	बीएनआरजीए सके	नवीन निर्माण (New Construction)	पीएल	निर्मितवर्ग मी. कुर्सी शेत्र	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च	
9a				पंचायत भवन का विस्तार (Extension of Panchayat Bhawan)	पीएल	...वर्गमी. विस्तारित कुर्सी शेत्र	...सं. में ग्रामों को लाभ होगा।			अप्रैल से मार्च	
10		10.	कृषि सेवाओं संबंधित कार्य	नाडेप कॉम्पोस्टिंग (Nadep Composting)	आईएएलघनमी. आकार	प्रतिवर्ष ...तन खाद का उत्पादन होगा।			अप्रैल से मार्च	
10a				वर्मी कम्पोस्टिंग (Vermi Composting)	आईएएलघनमी. आकार	प्रतिवर्ष ...तन खाद का उत्पादन होगा।			अप्रैल से मार्च	

क्र.सं.	भूमि का स्थान निवास	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भौतिक मानदण्ड		कार्य संपादन का संगावित सीजन
				वित्तीय मानदण्ड (लाख रु. में)	अनुमानित लागत	
1	2	3	4	5	6	7
10c			11. पशुधन संबंधी कार्य	आईएलघनमी आकार	7.II
11			तरल जैव खाद संजीवक और अमृत पानी (Liquid Bio Manures, Sanjeevak or Amrit Pani)			7.III
11a			मुर्गी आश्रय (Poultry Shelter)	आईएल	..वर्गमी क्षेत्रफल	8.I
11b			बकरी आश्रय (Goat Shelter)	आईएल	..वर्गमी क्षेत्रफल	8.II
11c			मवेशी शोड (Cattle Shed)	आईएल	..वर्गमी क्षेत्रफल	9
11d			मवेशी आहार पूरक के रूप में अजोला (Azolla as Cattle Feed Supplement)	आईएलसं... मवेशीयों को शोड के भीतर रखा जाएगा और ... टन/लीटर/खाद/अमृत पानी का निर्माण प्रतिदिन किया अजोला का उत्पादन होगा। रखा जाएगा।	अप्रैल से मार्च
12		12. मत्त्य पालन संबंधी कार्य	सार्वजनिक भूमि पर मोसमी जल निकायों में मत्त्य पालन/मीनाक्षी उपयोजना क. तालाब बनाना ख. मछली सुखाने के यार्ड्स (Fisheries in seasonal water bodies on public land a) excavation of pond b) fish drying platform)	पीएल/आईएल	क.घनमी मिट्टी कार्य ख.घनमी लोटफाम	जूलायर्स... टन मछली का उत्पादन होगा।
13	लागू नहीं	13. समुद्रतटीय				

क्र.सं.	भूमि का संख्या	कार्य की श्रेणी	कार्य का नाम	भूमि निस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	वैतीक मानदण्ड			वितीय मानदण्ड (लाख रु में)	कार्य संपादन का सम्बन्धित सीजन		
					कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (इकाई घन मीटर/ वर्ग मीटर/ किलोमीटर)	अनुमानित अकृशल श्रम दिवस (संख्या में)	अनुमानित परिणाम मजदूरी पर समर्पि पर				
1	2	3	4	5	6	7.1	7.1I	7.III	8.I	8.II	9
13a			सात्रा भवन काव	मछली सुखाने के यार्ड्स	पीएल व आईएलचाना मीटर लेटफाम	प्रतिवर्षटन मछली को सुखाया जाएगा				
13b				बैल्ट वेजीटेशन	पीएल व आईएल	पैदों कीसंख्या औरकिमी. लम्बाई मेंहेक्टे. क्षेत्रफल का सरक्षण होगा।				
14		14. ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य	सोख्ता गड्ढे (Soak Pits)	पीएल/आईएल घनमी आकार (एनआरडीडब्ल्यूपी के अनुसार विशिष्टि)	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	
14a			रिचार्ज पिट्स (पाईंट रिचार्ज के लिए) (Recharge Pits For Point recharge))	पीएल/आईएल	रिचार्ज पिट्स रिचार्ज के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अनुसार विशिष्टि)	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	प्रतिवर्ष घनमी. पानी रिचार्ज होगा	
14b			कुओं की खुदाई (निमेल नीर सार्वजनिक कूप) (Dug Wells)	पीएलमी. आकार तथा ..मी लम्बाईपरिवारों को लाभ होगा।परिवारों को लाभ होगा।परिवारों को लाभ होगा।परिवारों को लाभ होगा।परिवारों को लाभ होगा।	
14c											
15		15. ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएएचएल) (टीएससी के अनुसार विशिष्टि) (Individual house hold Latrines (IHHL) Specification as per TSC)	आईएल	टीएससी विशिष्टि के अनुसारपरिवारों को लाभ होगा।परिवारों को लाभ होगा।परिवारों को लाभ होगा।परिवारों को लाभ होगा।परिवारों को लाभ होगा।	
15a											
15b			विद्यालय शौचालय इकाईया (School Toilet Units)	पीएल	टीएससी विशिष्टि के अनुसारसं. में बच्चों को लाभ मिलेगासं. में बच्चों को लाभ मिलेगासं. में बच्चों को लाभ मिलेगासं. में बच्चों को लाभ मिलेगासं. में बच्चों को लाभ मिलेगा	
15c			आगांबाड़ी शौचालय (Anganwwadi Toilets)	पीएल	टीएससी विशिष्टि के अनुसारसं. में बच्चों को लाभ मिलेगासं. में बच्चों को लाभ मिलेगासं. में बच्चों को लाभ मिलेगासं. में बच्चों को लाभ मिलेगासं. में बच्चों को लाभ मिलेगा	

क्र.सं.	भूमि का स्थान वित्त	खसरा संख्या	कार्यों की श्रेणी	कार्य का नाम	भौतिक मानदण्ड		वित्तीय मानदण्ड (लाख रु. में)	कार्य संपादन का समावित सीजन		
					भूमि जिस पर कार्य शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक भूमि (पीएल) / वैयक्तिक भूमि (आईएएल)	कार्य की अनुमानित भौतिक मात्रा (इकाई घन मीटर/वर्ग मीटर/किलोमीटर)	अनुमानित अकुशल अम दिवस (संख्या में)			
1	2	3	4	5	6	7.1	7.11	8.1	8.11	9
15d				ठोस एवं तरल अधिक सामग्री प्रबंधन (एसएलडब्ल्यू एम) के कार्यों पर ख. झेंगे चैनल ग. साकेज चैनल /पिट घ. स्थायी तालाब (Solid & Liquid waste Management (SLWWM)	प्रैल	क. घनमी. मिट्टी का कार्य ख. घनमी. मिट्टी कार्य तथा मी. लम्बाई ग. घनमी. मिट्टी कार्य तथा मी. लम्बाई घ. घनमी. मिट्टी का कार्य स. में ग्रामीणक ताम होगा।	अकेल से मार्च		
16	16. अन्य कोई कार्य									
16a	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित			अनुमोदित होने पर इकाइयों को निर्दिष्ट किया जाएगा (Units to be Specified when approved)						

नकारात्मक सूची – मनरेगा के तहत नहीं लिये जा सकने वाले कार्य

1. अनुसूची-I के पैराग्राफ 2 में यह अधिदेशित है कि परिसम्पत्तियों का सृजन करना योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें यह बात अन्तर्निहित है कि सृजित की गई परिसम्पत्तियों प्रकृति में ठोस, मापन योग्य और जॉच-पड़ताल योग्य होनी चाहिए। स्टैंडअलोन गतिविधियों के रूप में पत्थर, गिट्टी अथवा झाड़ी हटाने, गाद अनुप्रयोग तथा इसी प्रकार की गतिविधियों जैसे कार्यों की अनुमति नहीं है, सिवाए इसके कि जब ये ग्रामीण निर्धन के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करने के लिए परियोजनाओं में कार्यों का हिस्सा हों।
2. सामान्यतः परिसम्पत्तियों का रखरखाव केवल उन कार्यों तथा परिसम्पत्तियों के लिए ही किया जाना चाहिए जिनका सृजन महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हुआ है। मनरेगा निधियों का प्रयोग मनरेगा से इतर योजनाओं से सृजित परिसम्पत्तियों के पुनः स्थापन हेतु किया जाना है तो तारीख सहित विगत में किए गए कार्य का पूर्ण ब्यौरा, अनुमान एवं मापन बही की प्रति, प्रशासनिक अनुमोदन देने से पूर्व, मनरेगा कार्य रिकार्ड के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एजेंसी का यह भी कर्तव्य होगा कि उसने ग्राम पंचायत (जीपी) को अपेक्षित सभी विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु इन परिसम्पत्तियों को निष्पादित किया है। पंचायत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कार्यों की सूची में ऐसे प्रत्येक कार्य के सामने संबंधित प्रविष्टि कर दी गई है वह यह सुनिश्चय करेगा/करेगी कि प्रशासनिक अनुमोदन के पूर्व दस्तावेजों की प्रतियों डीपीसी को भी उपलब्ध करवा दी गई हैं तथा कार्य आदेश के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसी को ब्यौरे उपलब्ध करवा दिए गए हैं।
3. महात्मा गांधी नरेगा निधियों का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुसूची-I के पैराग्राफ 1 ग के अंतर्गत उल्लिखित सभी श्रेणियों से संबंधित भूमि का मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के लिए अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। यदि भूमि मनरेगा कार्यों के लिए दान में दी जा रही है तो डीपीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि दान पूर्णतः स्वैच्छिक है और यह किसी दबाव के बगैर किया जा रहा है।
4. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत व्यापक रूप से शुरू की गई एक प्रमुख गतिविधि कुओं का निर्माण करना है। तथापि, यह देखा गया है कि अनेक अवसरों पर यह कार्य उपलब्ध हाइड्रो-जियोलाजीकल स्थितियों तथा पहले से पश्चप्रवण घटना पर संभावित प्रभाव, जल स्तर और जल गुणवत्ता के संदर्भ के बगैर अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया है। कुओं और नलकूपों जैसे वैयक्तिक स्रोतों के माध्यम से भूमिगत जल के विदोहन से कभी-कभी स्रोत की मात्रा (गहराई) और स्रोत की गुणवत्ता को हानि हो सकती है। अतएव, निम्नलिखित शर्तों का महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कुएँ खोदने के लिए निर्धारण किया जा रहा है :
 - (i) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत बोरवैल और ट्यूबवैलों पर किसी भी हालत में अनुमेय गतिविधि के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
 - (ii) उन क्षेत्रों में निजी कुएँ खोदना मनरेगा के अंतर्गत एक अनुमेय गतिविधि नहीं होगी जिनको केन्द्रीय सरकार जल बोर्ड (सीजीडबल्यूसी) के अद्यतन आकलन के अनुसार सेमी-किटिकल अथवा किटिबल या अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- (iii) उन क्षेत्रों जिनकों केन्द्रीय सरकार जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूसी) के अद्यतन आकलन के अनुसार सेमी-क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केवल समूह कुँओं (ग्रुप वैल) की अनुमति प्रदान की जाएगी जहाँ कृषक समूह ऐसे " ग्रुप वैल " से पानी की सहभागिता करने हेतु सहमत हों। ऐसे प्रत्येक समूह में कम से कम 3 कृषक शामिल होने चाहिए।
- (iv) एक समूह कुँए से पानी लेने के लिए कृषकों के बीच औपचारिक करार (स्टाम्प पेपर पर) होना चाहिए। इस समूह द्वारा किए गए करार की जाँच पड़ताल ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी।
- (v) एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस समूह का सदस्य हो सकता है। वह एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता है/ हो सकती है।
- (vi) एक समूह कुँए का पंजीकरण राजस्व रिकार्ड में ग्रुप सिंचाई कुँए के रूप में किया जाना चाहिए।
- (vii) सीजीडब्ल्यूबी द्वारा " सुरक्षित " के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में, वैयक्तिक कुँओं पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे कुँओं की गहराई और व्यास तथा एक कुँए से दूसरे कुँए की दूरी क्षेत्र विशेष की हाइड्रो-जिओलॉजी के अनुसार होनी चाहिए। अधिक पथरीले क्षेत्रों में कुँए का व्यास 8 मीटर के भीतर रखा जाना चाहिए। कम पथरीले और कवर वाले क्षेत्रों के लिए, कुँए का व्यास 6 मीटर से कम होना चाहिए।
5. मनरेगा के अंतर्गत शुरू की जा रही गतिविधि के बारे में किसी संदेह की स्थिति में, कि क्या यह कार्य अनुमेय है अथवा नहीं, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने का सुझाव है।

मनरेगा अंतर्गत क्षेत्रीय परिस्थिति अनुसार श्रम मूलक स्थाई संरचना के नवीन कार्यों को अनुमत कराने हेतु निधारित प्रक्रिया

1. कुछ परिस्थितियों स्थानों अथवा मौसमों में, अनुमेय कार्यों की इस सूची के भीतर रोजगार की गारंटी देना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थितियों में, राज्य सरकारें अनुसूची-I के पैराग्राफ 1 ख (xvi) का प्रयोग कर सकती हैं, जिसके द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा सूची में कार्यों की कुछ नई श्रेणियों को शामिल किया जा सकता है।
2. अनुसूची में अब से शामिल किए जाने वाले किसी भी नए कार्य की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए:
 - (i) यदि राज्य सरकार मानती है कि अनुमेय कार्यों की मौजूदा सूची से मनरेगा के अंतर्गत पर्याप्त रोजगार सृजित और उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और उसका भरोसा है कि (i) ऐसे कार्य भी हैं जो इस समय अनुमेय नहीं हो सकते हैं किन्तु उनसे अतिरिक्त रोजगार सृजित होगा; इनसे टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन होगा और ग्रामीण गरीबों का आजीविका संसाधन आधार मजबूत होगा, तब राज्य सरकार को जॉच तथा अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को भेजे जाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करना चाहिए।
 - (ii) राज्य सरकार के प्रस्ताव में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होना चाहिए:-
 - क) कार्य का औचित्य;
 - ख) राज्य के क्षेत्र जहाँ ये कार्य शुरू किए जाएंगे;
 - ग) नियोजित किए जाने वाले लोगों की संख्या (रोजगार संभाव्यता)।
 - घ) सृजित की जा सकने वाली टिकाऊ परिसम्पत्तियों की प्रकृति।
 - ड.) यह कार्य किस प्रकार ग्रामीण गरीबों के आजीविका आधार को मजबूत करेगा।
 - च) अन्य लाभ जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है जैसेकि सतत रोजगार अवसर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा लोगों के जीवनस्तर को उन्नत बनाना।
 - (iii) इन प्रस्तावों में एक आदर्श परियोजना (मॉडल प्रोजेक्ट) भी अन्तर्विष्ट होनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जाए :
 - क) कार्य का औचित्य;
 - क) प्रत्येक कार्य की इकाई लागत।
 - ख) प्रत्येक कार्य का मजदूरी घटक।
 - ग) प्रत्येक कार्य का सामग्री घटक।
 - घ) प्रत्येक कार्य का कुशल तथा अर्ध-कुशल घटक।
 - ड.) पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र तथा यह परियोजना किस प्रकार मनरेगा की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रावधान का अनुपालन करेगी।
 - च) अनुमानित अन्तिम परिणाम (परिसम्पत्ति) जो सृजित की जाएगी।
 - छ) ग्रामीण निर्धन के आजीविका आधार के लाभ।
 - ज) प्राप्त होने वाला अन्य कोई लाभ।

- (iv) एक ऐसा संकेत होना चाहिए कि क्या राज्य में चल रही किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के साथ इसका तालमेल किए जाने की आवश्यकता होगी। यदि हॉ, तो उस तालमेल की प्रकृति, इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा तथा फार्मेट जिसमें महात्मा गांधी नरेगा की जरूरतों संबंधी लेखा का अनुरक्षण किया जाएगा।
- (v) एक ऐसा खाता होना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि यह कार्य कैसे निष्पादित किया गया है, यदि राज्य में इस प्रकार के कार्य के कोई उदाहरण विद्यमान हों (इसमें अलग-अलग पंचायतों अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए गए इस प्रकार के कार्यों को शामिल किया जा सकता है)।
- (vi) इस प्रस्ताव की मंत्रालय द्वारा जॉच की जाएगी और यदि आवश्यक हो, ऐसे प्रस्ताव की संभाव्यता तथा परिणाम की सामान्यतः 3 महीने के भीतर किन्तु 6 महीने के बाद नहीं, जॉच करने हेतु प्रायोगिक योजनाओं को स्वीकृति दी जा सकती है।
- (vii) यदि अनुमेय कार्यों में कार्य को शामिल किया जाना है, तो मंत्रालय अपेक्षित दिशानिर्देश तैयार करेगा और संबंधित राज्य सरकार को अनुमोदन भेजेगा।
- (viii) यदि किसी मामले में ऐसा पाया जाता है कि यह कार्य का मूल्याकंन है, तो केन्द्र सरकार यह सुझाव दे सकती है कि ऐसे कार्यों को बड़ी संख्या में राज्यों के लिए अथवा अखिल भारत आधार पर अनुमोदित किया जा सकता है।
- (ix) तथापि, यदि यह पाया जाता है कि कार्य का परिणाम मनरेगा के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं पाया गया है तो अनुमेय कार्य के रूप में दिशानिर्देशों में संशोधन करने अथवा कार्य की स्वीकृति वापस लेने का सुझाव दिया जा सकता है।